विधि शास्त्र पर प्रश्नोत्तर

(Q & Ans On Jurisprudence)

राधा रमण पाण्डेय

एडवोकेट

प्रकाशक

सेन्ट्रल ला एजेन्सी

११ यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद

प्रकाशक
सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी
११, यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद

मूल्य चार रुपए

मुद्रक—जनता प्रेस
इलाहाबाद

विषय सूची

अध्याय १

विधिशास्त्र का अर्थ तथा क्षेत्र

(Meaning & Scope of Jurisprudence)

प्रश्न १—विधिशास्त्र का क्या अर्थ है ? इसके महत्व पर प्रकाश डालिये।

Q 1 What is meant by Jurisprudence ? Show its importance

उत्तर—विधिशास्त्र अर्थ—जहाँ पर किसी ज्ञान का विधिपूर्वक स्रोत होता है, वहीं पर उसके विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान स्वयं विधिपूर्वक स्रोत है अतः इसे विज्ञान कहा जा सकता है और इस विज्ञान को विधिशास्त्र कहा जा सकता है। विधि शास्त्र (Jurisprudence) शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों से हुई है। Juris एवं Prudentia। पहला शब्द है Juris जिसका तात्पर्य होता है विधि या कानून तथा दूसरा शब्द है Prudentia जिसका तात्पर्य होता है शास्त्र या ज्ञान। जब ज्ञान विधिपूर्वक क्रमबद्ध हो जाता है तब वह विज्ञान कहलाता है। अतः शाब्दिक रूप से भी विधि शास्त्र का तात्पर्य क्रमबद्ध ज्ञान या विधि विज्ञान से है।

परन्तु विधिशास्त्र केवल कानूनी ज्ञान ही नहीं है। यह विधि विज्ञान है। ज्ञान की शाखा के विज्ञान होने के लिए उसको विधिपूर्वक तथा क्रमबद्ध होना चाहिए। तितर बितर तथ्यों के आधार को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। उसी तरह वैधानिक तथ्यों की भी दशा है—उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति के पास कुछ वस्तुयें हैं, एक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हों, उसका कुछ कर्तव्य भी हो यह सब बातें अपने आप में विधिशास्त्र के अन्तर्गत नहीं आ सकतीं। इन तथ्यों का वैधानिक रूप से इकट्ठा होना आवश्यक है और उनका विश्लेषण होना भी जरूरी है और साथ ही साथ उनका प्रारम्भिक सिद्धान्त का भी तात्विक निर्धारण होना जरूरी है।

Allen के मतानुसार केवल कानून के आवश्यक सिद्धान्तों का वैज्ञानिक शोध मरोड ही विधिशास्त्र कहला सकता है।

G C Lee के मतानुसार विधिशास्त्र वह विज्ञान है जो मूल सिद्धान्तों के निर्धारण का प्रयास करता है तथा कानून जिसको व्यक्त करता है।

According to G C Lee Jurisprudence is a science which endeavours to ascertain the fundamental principles of which law is the expression

Moyle के मतानुसार विधिशास्त्र का म त सामा यत वही है जो ग्रन्य शास्त्रो का होता है ।

लेकिन जब विधिशास्त्र की परिभाषा विधि विज्ञान की सी होती है तब सभी कानून विधिशास्त्र के दायरे म नही आते । विधान श " का तात्पय है—काय नियम या गति विधि । अत यहाँ प्राकृतिक विधान नैतिक विधान एव ईश्वरीय विधान हो सकते हैं । पर यह विषयान्तर हो जायगा यदि इस पर अधिक चर्चा होगी ।

डा सामण्ड के श ग म इस सम्ब ध म विधान का तात्पय पूर्णरूपेण दीवानी विधान तक देश के विधान से है । यह उन दूसरे नियम समूहो के विरुद्ध है जिनको खींच तान कर विधि की सज्ञा दी जाती है ।

Dr Salmond—' By law, in this connection is meant exclusively the civil law, the law of the land, as opposed *to those other bodies of rules to which the name of law* have b en extended by analogy

विधिशास्त्र का हमारा अध्ययन ग्रास्टिन के ग ो मे निश्चयात्मक विधि के दग न म निहित है । ग्रास्टिन पुन कहते हैं कि विधिशास्त्र का उचित विषय इसके विभिन्न विभागो म निश्चित विधि है । नि श्चत या सुस्पष्ट विधि का अथ है, एक स्वतन्त्र राजनतिक समाज म महान सरकार या प्रभुसत्ताधारी (Sovereign) के अधिकारो या शक्ति द्वारा घोषित विधि । (The appropriate subject of jurisprudence in any of its different departments is positive law meaning by positive law law established or positum *in an independent political society by the* express or taict authority of its sovereign or supreme Government '

Dr Holland के मतानुसार विधिशास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है ।

Prof gray के मतानुसार विधिशास्त्र एक वैधानिक विधान है जिसका तात्पय यह होना है कि कोई भी नियम विधिपूवक एक सूत्र म बँधा हो जो कि सरकारी न्यायालयों में प्रचलित हो तथा जिसम नियमों के सिद्धान्त निहित हो । हम लोग विधिशास्त्र के अन्तगत एक देश या दूसरे देश के विधान का अध्ययन नहीं करते हैं ।

हम लोग केवल विधिशास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं । विभिन्न व्यक्तियों का वैधानिक सम्बन्ध एक दूसरे से भि न हो सकता है यह भी

सम्भव है कि राष्ट्रों में जो कानून प्रचलित हैं वे भी भिन्नता रखते हुए भी परन्तु सारभूत सिद्धान्त एक ही होते हैं। मौलिक सिद्धान्त की कल्पना अधिकार एवं कर्तव्य प्रतिकार एवं दण्ड आधिपत्य एवं स्वामित्व में सब वैधानिक विधियाँ प्रायः मिलती जुलती हैं। ये वैधानिक विधियाँ ही वास्तव में विधिशास्त्र का मूलतत्व हैं। Paton महोदय कहते हैं कि यह भी अध्ययन की विधि है, इसको एक देश के विधान का अध्ययन नहीं बल्कि इसे सामान्य अध्ययन कहा जा सकता है। Paul Vinogradoff के मतानुसार—

सरल नियम एवं निश्चित विधि के भाग जो हर राष्ट्र के इतिहास में भिन्नता प्रकट करते हैं के मुकाबले में या अध्ययन से विधि विज्ञान का उदय होता है। यह विधिशास्त्र उन सामान्य सिद्धान्तों के उद्देश्यों की खोज करता है जो अधिनियमों तथा अदालती निर्णयों में पाये जाते हैं।

विधिशास्त्र का महत्व—विधिशास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालना अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। सामाजिक विज्ञान होने के नाते विधिशास्त्र अनेक प्रकार के सामाजिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करता है, जो एक सामाजिक शास्त्र दे सकता है। निस्सन्देह इस शास्त्र को विधान का आँख कहा जा सकता है समाज में निम्नलिखित बातों से इस शास्त्र के महत्व का प्रदर्शन होता है —

(१) व्यवस्थापिका सभा के लिये भी विधिशास्त्र का अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। विधिशास्त्र के द्वारा ही व्यवस्थापिका की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जैसे कानून के शब्दों को परिभाषित करना, इत्यादि अथवा अधिकार (Right), कर्तव्य(Duty), आधिपत्य (Possession), स्वामित्व(Ownership) परम्पराधिकार (Prescription) आदि का वर्णन नहीं करना पड़ता क्योंकि इन सारे शब्दों का विधिशास्त्र में स्पष्टता से वर्णन किया गया है।

(२) विधिशास्त्र कानून के विद्यार्थियों के लिये मानसिक वैज्ञानिक बुद्धि के लिए एक यन्त्र है।

(३) जिस तरह से भाषा के लिए व्याकरण का होना महत्वपूर्ण है उसी तरह से विधिशास्त्र का विधान के लिये होना परमावश्यक है क्योंकि विधिशास्त्र के द्वारा ही विधान के मूलभूत सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है। विद्वान Holland के शब्दों में यह कहा जा सकता है— जैसे समानता एवं भिन्नता को एक स्थान पर इकट्ठा करके किसी भाषा का भाषा विज्ञान के द्वारा निर्माण होता है और इस तरह से इकट्ठा तथ्यों का आधार व्याकरण होता है। उसी भाँति देश भिन्न का कानून इकट्ठा करके एक वैधानिक संस्था का निर्माण होता है और ऐसी संस्था के निर्माण में विधिशास्त्र का बहुत बड़ा हाथ होता है जो कि विधान का सरल से सरल

तम बनाता है तथा जो भिन्न भिन्न प्रकार से वास्तविक संस्थान द्वारा जाने जाते हैं।

(४) विधिशास्त्र कानून की कमियों का पूरक है। जहाँ विधान एकदम शान्त रहता है अथवा कुछ अन्तर एक विधान और दूसरे विधान में रहता है विधिशास्त्र ऐसे ही स्थान पर कानून को समझने में सहायता करता है जैसे राम ने एक हिरन को चोट पहुँचाई और श्याम ने हिरन को पकड़ लिया ऐसी अवस्था में यदि कानूनी सहायता नहीं मिलती तो न्यायाधीशों को विधिशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है और तभी कोई न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुँच सकता है कि राम का आधिपत्य उस हिरण पर इसलिये है कि वह आधिपत्य के आवश्यक गुणों को पूरा करता है।

(५) यद्यपि आस्टीन महोदय के अनुसार विधिशास्त्र का महत्व वकालत पेशा करने वालों के लिये बहुत कम है जिसको कि आगे चलकर Dicey महोदय ने कहा कि विधिशास्त्र एक वह शब्द है जिसको कि लेकर वकीलों में नोक-झोंक चला करती है। तथा विधिशास्त्र शब्द वकीलों के नाम से बदबू करता है—'Jurisprudence is a word which stinks in the norstrils of a practising Barrister' परन्तु फिर भी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वकीलों को अपने प्रतिदिन के कार्य में विधिशास्त्र का प्रयोग अनजाने ही में करना पड़ता है और वे करते हैं।

(६) विधान की व्याख्या करने में वकील जज एवं जूरी अपनी कल्पना की उड़ान में उड़ते हैं। यह विधिशास्त्र ही है जो कि ऐसी कल्पनाओं पर एक रोक लगाती है और सही सही विधान की व्याख्या करने के लिये बाध्य करता है।

(७) आज के युग में सम्पूर्ण विश्व में जहाँ सहस्रों व्यवस्थापिकायें सहस्रों कानूनों का प्रत्येक वर्ष निर्माण करती हैं एक व्यक्ति के एवं जज के लिए सम्भव नहीं कि वह सभी कानूनों से अवगत हो वहाँ पर विधिशास्त्र के मूल सिद्धान्तों के अध्ययन द्वारा कानून सरल हो जाता है क्योंकि ये सिद्धान्त दुरूह नियमों को सुलझाने के नियम प्रदान करते हैं।

निःसंदेह हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्रियों ने कहा है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में केवल विधि विज्ञान ही एक ऐसी शाखा है जिसमें कि नितान्त आवश्यक सामान्य नियम की कमी महसूस की जाती है। ('Among all branches of Science it is precisely in law that the compelling necessity for a generalised system is felt'),

प्रश्न २—विधिशास्त्र के उत्पत्ति (Origin) एवं विकास पर प्रकाश डालिए।

Q 2 Give the origin and evolution of jurisprudence ?

उत्तर–उत्पत्ति यद्यपि कि कुछ विद्वानों के मतानुसार विधिशास्त्र एक बहुत ही पुराना विज्ञान है और बहुत विद्वानों का मत है कि विधिशास्त्र एवं समाजशास्त्र का जन्म अभी तक नहीं हुआ है, तथापि यह मानना पड़ेगा कि प्रारम्भ में सभी विज्ञान एक धूमिल तत्व की भाँति थे और ऐसी अवस्था में यह कहना अनुचित न होगा कि विधिशास्त्र की भी अवस्था कुछ ऐसी ही रही होगी।

(२) सर्वप्रथम यहूदी अपनी प्रत्यादिष्ट वार्ता द्वारा न्याय पर उनकी यथार्थता अपरोक्ष रूप से वैधानिक नियमों की वृद्धि में सहायता प्रदान करती रही, तो भी विधिशास्त्र के क्षेत्र के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकी।

(३) यद्यपि यूनानी लोग अपने प्राकृतिक विधान (Jus Naturale or Natural laws the father of modern equity) के द्वारा विधान की नींव डालने में सफल रहे जिसको कि Romans ने बाद में ग्रहण किया तो भी Jews की तरह यूनानियों में भी धर्म नैतिकता तथा कानून में कोई अन्तर नहीं है। वास्तव में उनकी प्राकृतिक विधि में सम न्याय Equity की उत्पत्ति हुई विधिशास्त्र की नहीं। बाद में यहूदियों की तरह यूनानियों ने कोई भी भेद धर्म, नैतिकता एवं विधान में नहीं माना। अतः विधिशास्त्र को एक स्वतन्त्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता। Ser Henry Maine ने अपने Ancient law में कहा है—यूनानी विद्वानों में इतनी परिवर्तनशीलता होने पर भी वे अपने को विधान के चौखटे में नहीं बाँध सके। यूनानी सभ्यता ने भी काफी उन्नति की, पर विधिशास्त्र का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका।

The Greek intellect with all its mobility and elasticity was quite unable to confirm itself within the spract waistcoat of a legal formula The Greek tribunals exhibited the strongest tendency to confound law and fact No durable system of jurisprudence could be produced in this way)

(४) रोम के व्यवस्था शास्त्र के शास्त्रियों (Jurists) को विधिशास्त्र के उन्नति का श्रेय दिया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं–(अ) विधिशास्त्र का विधान में एक स्वतन्त्र स्थान दिलाना (ब) उसको विज्ञान का रूप दिलाना क्योंकि विधिशास्त्र का प्रादुर्भाव स्वयं Latin भाषा से हुआ है, (स) और सम्राट जस्टीनियन के

नार नि फ धि क प (Justinian s Corpus juris civilis) को जिसके द्वारा विधान के नियम एव सिद्धा त प्रतिपादित हुए। Prof Holland के मतानुसार सम्पूर्ण विश्व रोम के व्यवस्था शास्त्र के ज्ञाताओ का ऋणी है जिसने कि ऐसे विधान को ज म दिया। यह उनकी भाषा के द्वारा ही ज्ञात हो जाता है कि विधान का नामकरण उसी पर हुआ क्य कि उन लोगो न स शास्त्र को केवल नाम ही नही प्रदान किया वरन् वैधानिक विचारो म काँट छाँट करके उन्होने एक क्रमिक एव सुसम्बद्ध रूप भी प्रदान किया।

रोम के एक प्रमुख यायशास्त्री (Jurist) Ulpia ने विधिशास्त्र की परिभाषा दते हुय कहा है कि यह मानवीय तथा दैवीय वस्तुओ का ज्ञान, उचित अनुचित का विज्ञान है। यह परिभाषा वास्तव मे सत्य से बहुत कुछ अलग है। अन्य रोम वासी सिसरो (Cicero) ने विधिशास्त्र की परिभाषा दी है कि यह विधि के ज्ञान का नि क रूप है। यह परिभाषा स य के बहुत समीप है और इससे ज्ञात होता है कि यह विज्ञान न न विकसित हो रहा था। पर तु रोम साम्रा य पर सी समय आक्रमण किया गया और उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। इसकी विनष्टि क साथ ही साथ विधिशास्त्र भी नष्ट हो गया।

(५) १३वी शता दी मे विधिशास्त्र को धर्मशास्त्र की एक शाखा के रूप मे पुन स्थापित किया गया। St Thomas Aquinas की रचना म इस प्रकार की पुनर्स्थापना का स्पष्ट प्रमाण है। राजनैतिक क्षेत्र म धर्मशास्त्र तथा विधिशास्त्र के सम्मिश्रण का परिणाम हुआ धार्मिक दड प्रणा ी का अभ्युदय। लूथर ने धर्मशास्त्र (ईश्व ीय विधान) क नि मो का विधि द्वारा अनुचित अपहरण किये जान के विरुद्ध आवाज उठाई।

(६) १६वी शता ी म धार्मिक सुधार के आ दोलन के परिणाम स्वरूप विधिशास्त्र को धर्मशास्त्र से पृथक किया जाने लगा। धर्म सुधारको का काय अन्त महान था इ है पोप तथा सम्राट की शक्ति से धर्म को पृथक करना था।

ह्यू गो ग्रोशियस ने जो कि अ तर्राष्ट्रीय विधान क जनक कहे जाते हैं कहा कि यह हो सकता है कि विभि न राष्ट्र अपने पारस्परिक बाह्य व्यवहार में अ त र्रा ष्ट्रीय विधि या प्राकृतिक विधि का पालन करें पर तु फिर भी उन्हें पूर्ण अधिकार है कि वे अपन आ तरिक मामलों म अपनी आवश्यकतानुसार विधि का निर्माण करें।

हाब्स ने रा य क आज्ञा को ही विधि बताया और कहा कि राज्य क नागरिक उन नि धियों को मानने क लिये बाध्य होते हैं। हा स क विचार म राज्य को यह अधिकार है कि अपने नागरिकों स य द्धा न मनवाय।

(७) यहाँ तक कि १७वीं शताब्दी में Prof Blackstone ने कहा कि ईश्वरीय विधान राज्य विधान से श्रेष्ठ है। इस विचार धारा का खण्डन बेन्थम महोदय ने किया और इसी समय से वैधानिक शास्त्र धर्मशास्त्र के बन्धनों से मुक्त हुआ। अब इस धर्मशास्त्र के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि, राजनीति तथा विधि निर्माण से सम्बन्धित किया गया। बेन्थम ने इस प्रकार आस्टिन तथा शास्त्र दोनों के विचारों से पृथक विचार व्यक्त किया। आस्टिन के विचार से समस्त विविध शास्त्रीय समस्यायें एक विवाद अन्तर्राष्ट्रीय विधि का ही अंग होगी है। ह्यूम के विचार से राजनीति शास्त्र ही प्रमुख है और विधिशास्त्र का विवेचन इसी प्रमुखता को दृष्टि में रखकर किया जाना चाहिए। परन्तु बेन्थम ने कहा कि विधि निर्माण विधिशास्त्र का ही अंग है। १९वीं शताब्दी में ही विधिशास्त्र को एक स्वतन्त्र विज्ञान का रूप प्राप्त हुआ है।

फिर भी विधिशास्त्र को एक स्थिर विज्ञान नहीं कहा जा सकता। विधान के उत्थान के साथ साथ इसकी भी उन्नति हो रही है। Savigny के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह भाषा और व्याकरण का सम्बन्ध रहता है इसी प्रकार विधान का आंशिक सम्बन्ध प्रकृति से रहता है यह प्रकृति जन समुदाय से उत्पन्न होती है।

अतः विधिशास्त्र जो कानून का विज्ञान है, विधि की उन्नति के साथ उन्नति करता है। (Jurisprudence which is a science of law progresses with the growth of law)

जहाँ Cicero एवम् और भी रोम के विधिशास्त्री विधिशास्त्र को विधान का ज्ञान कहते हैं वहाँ इसका व्यापक अर्थ भी है। वहीं और भी नवीन विधिशास्त्रियों का कहना है कि विधिशास्त्र शास्त्र विधान का ज्ञान है। अतः Ulpian महोदय अनुसार वस्तु ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान एवं मानवीय ज्ञान ही विधिशास्त्र है वहीं पर Allen महोदय का कहना है कि यह विधि के प्रमुखतम् सिद्धान्तों का अभिव्यक्तिकरण कहते हैं।

इस प्रकार विधिशास्त्र की व्याख्या जो विधि के ज्ञान से प्रचलित थी धीरे धीरे विचार परिवर्तन के साथ साथ नव विधि विज्ञान का रूप धारण कर लिया।

प्रश्न ३—विधिशास्त्र की विभिन्न परिभाषायें लिखिये तथा इसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिये।

Q 3 Give the various definitions of Jurisprudence and its scope

उत्तर—(अ) परिभाषायें—विधिशास्त्र का इस विषय में विचारकों ने भिन्न-

भिन्नप्रकार से समझाया है और उसी के अनुसार इसकी परिभाषायें दी है।

विधिशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है विधि का ज्ञान परन्तु समय की गति के साथ साथ इसका अर्थ विधि विज्ञान हो गया है।

Ulpian नामक प्रसिद्ध रोमन विधिशास्त्री ने विधिशास्त्र को उचित और अनुचित का शास्त्र कहा है तथा मानवीय एवं ईश्वरीय ज्ञान का विज्ञान भी। यह परिभाषा हमें उस प्राचीन समय की याद दिलाती है जब कि विधिशास्त्र प्राकृतिक विधान (Jus Naturale or Natural law) के रूप में था जो कि ईश्वरीय उंगलियों द्वारा मानवीय हृदय में अंकित रहता था। यह परिभाषा भी कोई महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं कही जा सकती क्योंकि यह परिभाषा नीतिशास्त्र धर्मशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र तीनों में पाई जाती है।

सिसरो (Cicero) विधिशास्त्र को विधि के ज्ञान का दार्शनिक रूप कहा है। यह परिभाषा थोड़ा बढ़कर सत्य की ओर उपयुक्त परिभाषाओं की अपेक्षाकृत अधिक त्रुटि मुक्त होनी हुई प्रतीत होती है। यद्यपि दार्शनिक शब्द विधिशास्त्र के लिये ठीक प्रकार से लागू नहीं होता क्योंकि विधिशास्त्र वास्तव में एक विज्ञान या विधि के अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है फिर भी विधिशास्त्र का विधि से तो सम्बन्ध है ही।

उदाहरणस्वरूप हम लोग नैतिक विधि तथा भौतिक विधि से सम्बन्ध रखते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम (Law of Gravitation)

Austin महोदय भी इसी दृष्टि से विधिशास्त्र की परिभाषा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि विधिशास्त्र सुस्पष्ट विधि का दर्शन है। Holland ने विधिशास्त्र की परिभाषा औपचारिक विज्ञान के रूप में रचना करके दी है। प्रश्न नं० ५ में सामण्ड ने विधिशास्त्र का नागरिक विधि विज्ञान कहा है। प्रश्न ४ में Prof Gray ने भी इसी दृष्टिकोण से विधिशास्त्र की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि विधिशास्त्र उन नियमों एवं उन नियमों के पीछे छिपे रहने वाले सिद्धान्तों का अध्ययन करता है जिन्हें न्यायालय विवादों का निपटारा के लिये प्रयोग करते हैं। Allen के मतानुसार विधिशास्त्र विधान के वैज्ञानिक एवं आवश्यक नियमों का अध्ययन कराता है।

(ब) विधिशास्त्र का क्षेत्र— विधिशास्त्र के क्षेत्र के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि प्राकृतिक विधान के साथ साथ नैतिकता भी विधिशास्त्र के अन्तर्गत आती है इसमें उनका क्षेत्र विस्तृत होता है पर कुछ विद्वानों ने अपना मत विधिशास्त्र के विषय में प्रकट करते हुए कहा है कि विधिशास्त्र के अन्तर्गत नैतिकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधान भी सम्मिलित है। Ulpian के

लिए विधिशास्त्र उचित अनुचित तथा मानवीय एवं दैवी वस्तुओं का ज्ञान था अतः Beale ने विधिशास्त्र की परिभाषा न्यायिक विज्ञान कह कर दी।

इन परिभाषाओं में शायद ही कहीं पर कोई स्पष्टीकरण हो कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसका निर्णय विधि करेगा या नैतिकता करेगी।

परन्तु यदि विधिशास्त्र के क्षेत्र में इसे भी मान ली जावे तो विधिशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत तो अवश्य हो जायगा परन्तु निश्चित नहीं रहेगा। इसके अन्तर्गत राजकीय विधि तथा नैतिक नियमों में कोई अन्तर नहीं रह जायगा। आस्टीन स्वयं उनके परवर्ती वादियों ने विधिशास्त्र की विषय सामग्री केवल सुस्पष्ट विधि ही माना है। वे नैतिकता को विधि से अलग रखते हैं। उनका सुस्पष्ट विधि का अर्थ विधि से तात्पर्य है जो राज्य के प्रधान द्वारा नागरिकों पर लागू की जाती है। इस प्रकार विधिशास्त्र का विधि की अच्छाई या बुराई या नीतिगत विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। इसका सम्बन्ध मात्र राजकीय विधियों तक ही सीमित रहा। आस्टीन ने स्वयं भी लिखा है कि विधिशास्त्र को यह अधिकार नहीं कि वह उपयोगिता के अनुसार विधियों की अच्छाई एवं बुराई निर्धारित करे। विधिशास्त्र तो केवल सुस्पष्ट विधि या विशिष्ट विधि तक ही सीमित है। यह सत्य है कि विधिशास्त्र का वैधानिक न्याय से ही सम्बन्ध है परन्तु यहाँ पर वैधानिक न्याय से तात्पर्य उस न्याय से है जिसे निष्पक्ष नियमों के प्रति कृतज्ञता की संज्ञा दी है। अतः इसी अर्थ में विधिशास्त्र को न्याय का विज्ञान कहा जाता है। पैटन महोदय ने भी कहा है कि विधिशास्त्र के द्वारा समस्त देश के विधान का अध्ययन नहीं किया जा सकता बल्कि विधिशास्त्र के द्वारा सम्पूर्ण विधान का अध्ययन हो सकता है। (प्रश्न सं० १)

प्रश्न ४— विधिशास्त्र की परिभाषा नागरिक विधि से की जा सकती है? इसकी विवेचना कीजिये।

Q 4 We may define jurisprudence as the science of Civil Law' Discuss

उत्तर—सामण्ड महोदय विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि विधिशास्त्र नागरिक विधि विज्ञान है। विज्ञान से तात्पर्य है सुव्यवस्थित ज्ञान का भण्डार। विज्ञान से मतलब सामण्ड महोदय का यह है कि कोई भी बौद्धिक कार्य करना। इस तरह यह भी कहा जा सकता है कि विधिशास्त्र भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान है जो कि दर्शनशास्त्र इतिहास, अर्थशास्त्र एवं कला से भिन्न है। पर कोई भी ज्ञान का आधार यदि वर्गीकरण न हो उसका विस्तृत

हुआ जिससे कि वह विज्ञान विधिपूवक एक शिखर पर पहुँचा हो एसा ज्ञान विनार कहलाता है।

विज्ञान और कला मुख्यत अपने उद्देश्य म भिनता रखते हैं। Mill महोदय कहते हैं कि विज्ञान ही विधान का आधारभूत तत्व है कला के द्वारा उसकी मा यता स्वीकार करनी पडती है।

नागरिक विधि (Civil law) — नागरिक विधि का तात्पय सामन्ड के न दो म एक देश का विधान कहलाता है। इसके ठीक उल्टे म यह भी क_ा जा सकता है कि कुछ नियमो द्वारा विधान बनता है। विज्ञान सामण्ड पुन कहते हैं कि ऐसा विधान नागरिक विधि इसलिये कहलाता है कि उसका निर्माण रा य द्वारा होता है। इसका नामकरण रोम के Jus civile से हुआ है।

य_ ध्यान देने योग्य है कि सामण्ड ने जानबूझ कर सुस्पष्ट विज्ञान (Positive law) श द को हटा दिया है और नागरिक विधि को अपनाया है। उनका कहना है कि नागरिक विधि को गलत ढग से सुस्पष्ट विधान का स्थान दे दिया गया है। सुस्पष्टतया Jus Positium न ‍ का ■ केवल मध्यवर्तीय विधि शास्त्रियो न किया है जिसका मतलब होता एसा विधान जा कि मानवीय नक्तियो द्वारा निर्मित हुआ हो जो कि ठीक उल्टा होता है प्राकृतिक विधान (Jus Naturale) क मुकाबले म। प्राकृतिक विधान अपने आप पैदा होता है। सुस्पष्ट विधि का आधार प्राकृतिक विधान ही है। बिना इसके सु पष्ट विधि का कोई अस्ति व ही नही रहता। अत यह कहना कि सुस्पष्ट विधि प्राकृतिक विधि है, गलत होगा। सभी विधान सुस्पष्ट पर पूर्णतया प्राकृतिक नहीं अ तर्राष्ट्रीय विधान उदा_रण स्वरूप एक तरह से सुस्पष्ट विधि है जो कि नागरिक विधि स कम नही।

अत प्राकृतिक विधि अ तर्राष्ट्रीय विधान के अ तगत न_ी आता। विधि शास्त्र नागरिक विधि विज्ञान है और अन्तर्राष्ट्रीय विधान इसीलिये विधिशास्त्र के दायरे के बाहर की वस्तु हो जाती है। सामन्ड स्वय क_त हैं कि परिभाषा म यह बात विरोधाभास न_ी पै। कर सकती यदि कहा जाय कि नागरिक विधि अ तर्राष्ट्रीय विधान क अ तगत नहीं आता। नागरिक विधि का तात्पय यह है जिसका कि कतीन वग अपने निदिन के काय म उसका प्रयोग करत हैं।

यह ध्यान दन यो य बात है कि प्रत्यक्षवा ी (Po itivists) वग अन्तर्राष्ट्रीय विधान को कहत हैं कि यह विधान विधिशास्त्र क अ तगत न_ा आता अन्य इसी आधार र ‍ वादी वग अन्तर्राष्ट्रीय विधान को सुस्पष्ट विधि न_ा मानते।

सामन्ड की नागरिक विधि का परिभाषा सुस्पष्ट विधि मिश्रित परिभाषा

स श्रेष्ठतर है। परन्तु नागरिक विधि एवं सुस्पष्ट विधि मापदण्ड द्वारा खोजे हुए अन्तर को हमेशा स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखते हैं। अतः यह जानना कठिन है कि हम विधिशास्त्र के लिए कौन सा मार्ग अपनायें।

प्रश्न ५—डा० हालैण्ड विधिशास्त्र को उन मानव सम्बन्धों जिन्हें कानूनी परिणाम की मान्यता प्राप्त हो, का औपचारिक शास्त्र कहा है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं?

Q 5 Dr Holland defines Jurisprudence as the formal science of those relations of mankind which are generally recognised as having legal consequences the Formal science of positive law Do you agree with this view?

उत्तर—यद्यपि शाब्दिक अर्थ में विधिशास्त्र का विधान से ... होता है पर वर्तमान युग में विधिशास्त्र विज्ञान का विधान कहलाता है। हालैण्ड महोदय के अनुसार विधिशास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है। इस परिभाषा को कई भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है।

औपचारिक (Formal)—हालैण्ड का कहना है कि विधिशास्त्र औपचारिक या विश्लेषणात्मक विज्ञान है पार्थिव नहीं। यह विभिन्न देशों के विधानों का अध्ययन नहीं करता वरन् यह उन विधानों के रूप या बाह्य आकार मात्र का अध्ययन करता है। यह वास्तव में विभिन्न देशों के विधानों के पीछे छिपे हुए मूलभूत विचारों या सिद्धान्तों का अध्ययन करता है। हालैण्ड ने इसी विचार को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण दिये हैं। उन्होंने लिखा है कि विधिशास्त्र उन्हीं विधियों का अध्ययन करता है जो विभिन्न देशों के विधानों में उपनिविष्ट होती हैं वरन् यह उन विभिन्न सम्बन्धों का अध्ययन करता है जो वैधानिक नियमों द्वारा प्रभावित होते हैं। हालैण्ड का कहना है—विधिशास्त्र उन वैधानिक नियमों का पार्थिव विज्ञान नहीं जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच उपनिविष्ट हैं वरन् यह मानव जाति के विभिन्न सम्बन्धों का अध्ययन करने वाला औपचारिक विज्ञान है जिसका वैधानिक परिणाम होता है। इस कारण हालैण्ड के विचार से विधिशास्त्र औपचारिक विज्ञान है पार्थिव नहीं।

विज्ञान (Science)—हालैण्ड के विचार से विधिशास्त्र विज्ञान है कला नहीं। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय का क्रमिक तथा व्यवस्थित ज्ञान। विधिशास्त्र विज्ञान इसीलिए कहा जाता है कि विधिशास्त्र एक क्रमबद्ध ज्ञान की शाखा के अन्तर्गत विभिन्न देशों के विधानों के आधार सिद्धान्त एवं धारणाओं को क्रमबद्ध तरह शामिल करता है इस कारण इसे विज्ञान कहा जाता है। विधिशास्त्र केवल एक राष्ट्र के विधान तक ही सीमित नहीं रहता। Paton महोदय के

मतानुसार भी विधिशास्त्र सम्पूर्ण विज्ञान का अध्ययन कराता है। Clark भी इस मत की पुष्टि करता है। Stammler के अनुसार भी विधिशास्त्र एक औपचारिक विज्ञान है।

सुस्पष्ट विधि (Positive law)—सुस्पष्ट विधि से हालैंड का तात्पर्य उस विधि से है जो राज्य के सर्वसत्ता सम्पन्न राजनीतिक प्रधान द्वारा अपने देश के नागरिकों के वाह्य कार्यों को संचालित करने के लिए लागू की जाती है। यहाँ पर हालैंड तथा आस्टीन के विचार वस्तुतः समरूपता रखते हैं। विधिशास्त्र की विषय सामग्री को सुस्पष्ट विधि ही बताते हैं। परन्तु हालैंड की परिभाषा आस्टीन की परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि हालैंड के लिये विधिशास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है जब कि आस्टीन के लिए यह विज्ञान मात्र ही है। हाब्स (Hobbes) ने सुस्पष्ट विधि को समझाते हुये लिखा है—सुस्पष्ट विधि आदि काल से नहीं है वरन् यह उन व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है जिन्हें अन्य व्यक्तियों पर प्रभुसत्ता प्राप्त है। हालैण्ड ने स्वयं लिखा है कि विधिशास्त्र का केवल मात्र सुस्पष्ट विधि से ही सम्बन्ध होता है। इसका नीति सम्बन्धी, सम्मान सम्बन्धी तथा फैशन सम्बन्धी नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

आलोचना—१—हालैंड की इस परिभाषा की बड़ी आलोचना की गई है। Prof Gray ने औपचारिक शब्द के कारण ही हालैंड की परिभाषा को संकीर्ण एवं अस्पष्ट बताया है। उनका कहना है कि विधिशास्त्र उतना ही औपचारिक विज्ञान है जितना शरीरशास्त्र अधिक नहीं। जिस प्रकार अस्थियाँ, मांस पेशियाँ तथा स्नायु शरीर शास्त्र के अध्ययन के विषय होते हैं, उसी प्रकार विधान सांगों पर नियंत्रण तथा तज्जनित घटनायें विधिशास्त्र की विषय सामग्री होती है।

२—डाक्टर एडवर्ड जेंक्स ने भी औपचारिक शब्द पर हालैंड की परिभाषा की कटुआलोचना की है। उनका कहना है कि औपचारिक शब्द का प्रयोग करके हालैंड ने विधिशास्त्र के आकार पर अधिक जोर दिया है उसके विषय पर नहीं। उनका कहना है कि यह सत्य है कि एक न्यायशास्त्री विधि को केवल मात्र इसके आकार से ही जान सकता है क्योंकि आकार ही विभिन्न प्रकार के विषयों को देखने योग्य बनाता है परन्तु जब किसी न्यायशास्त्री को आपरेशन करने की मेज पर हुआ विधि का रूप मिलता है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इसकी चीर फाड़ करे और इसके वास्तविक अर्थ को समझे। यह कहना कि विधिशास्त्र केवल मात्र आकार से ही सम्बन्धित है विधिशास्त्र को विज्ञान के पद से गिराकर शिल्पकला के पद पर लाना है।

३—प्रो० ग्रहम्सन महोदय का कहना है कि आकार तथा औपचारिक सम्बन्ध किंचित मात्र भी इतने साधारण एवं इतने सुस्पष्ट नहीं हैं कि इनका मन्द संवाद तत्काल दार्शनिक क्रमबद्धता सदृश्य समस्याओं का हल कर सके।

४—प्रो० स्टोन का कहना है कि जब तक विधानों, नियन्त्रणों एवं उन तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता जिनके अन्तर्गत विधि का निर्माण किया गया है, तब तक विधि को पूर्णतया पहचाना नहीं जा सकता। इतना ही नहीं विधिशास्त्र के प्रमुख विषयों का दावा भी नहीं खड़ा किया जा सकता। विधान की समस्त सामग्री से पृथक स्वामित्व या संविदा तक के ही सामान्य सिद्धान्तों को बनाने का प्रयत्न करना ठीक उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार ईंधन के बिना ही नहीं वरन् मिट्टी के ही बिना ईंटों को बनाने का प्रयत्न करना।

डा० हालैण्ड के औपचारिक विज्ञान से तात्पर्य यह था कि विधिशास्त्र केवल मात्र वैधानिक प्रणाली के उद्देश्यों, पद्धतियों तथा विचारों का अध्ययन करना है वैधानिक प्रणाली के स्थूल तथ्यों का नहीं। यदि हम इस आलोचकों के इस विचार को मान लें कि विधिशास्त्र औपचारिक नहीं वरन् स्थूल विज्ञान है तो हम निःसन्देह सत्य से विमुख हो जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के बड़े एवं घर इत्यादि मूल्यों के आंकड़े एकत्रित करके एक स्थान पर रख देता है तो उन स्थूल तथ्यों के संकलनकर्ता को अर्थशास्त्र नहीं कहा जा सकता। अर्थशास्त्र की रचना उस समय होगी जब इन स्थूल तथ्यों से कुछ औपचारिक सिद्धान्त निकाल कर संग्रहीत किये जायें जिससे यह ज्ञात हो कि वस्तु के भाव में उतार चढ़ाव किस प्रकार होता है। इसी प्रकार विधिशास्त्र भी वैधानिक प्रणाली के उन्हीं औपचारिक सिद्धान्तों का अध्ययन करता है, उन सिद्धान्तों की रचना करने वाले स्थूल तथ्यों का नहीं।

प्रश्न ६—सामान्य विधि शास्त्र (General jurisprudence) एवं निर्दिष्ट विधिशास्त्र (Specific jurisprudence) से आप क्या तात्पर्य समझते हैं।

Q 6 What do the phrases Jurisprudence in it generic sense and Jurisprudence in its specific sen e mean ?

उत्तर—सामान्य विधिशास्त्र एवम् निर्दिष्ट विधिशास्त्र में अन्तर—(Jurisprudence in generic specefic sense)—प्रो० हालैण्ड ने सामान्य विधिशास्त्र एवं निर्दिष्ट विधिशास्त्र में अन्तर बतलाया है। सामान्य विधिशास्त्र समस्त वैधानिक सिद्धान्त के बारे में बतलाता है जो निर्दिष्ट विधिशास्त्र एक विशिष्ट विधि का और इशारा करता है।

यदि एक को सामान्य विधि शास्त्र या सैद्धान्तिक विधि शास्त्र कहा जाय तो दूसरा व्यावहारिक या प्रायोगिक को न कहा जायगा। सामान्य के शब्दों में —

It is called theqretical jurisprudence as being con cerned with the theory of the law—that is to say, its fundamental principles and conceptions rather than its practical and concrete details it is also and for the same reason known as general jurisprudence

(क्योंकि यह विधि के मौलिक सिद्धान्तों एवं धारणाओं से सम्बंधित है बजाय उसके प्रायोगिक एवं ठोस रूप से सम्बंधित होने के कारण उसे सामान्य विधि शास्त्र या सैद्धान्तिक विधिशास्त्र कहा जाता है।

यह भी कहना गलत न होगा कि सामान्य विधिशास्त्र की धारणा सामण्ड के मत में भ्रमपूर्ण है। सामण्ड महोदय कहते हैं कि सामान्य विधिशास्त्र मात्र वैधानिक सिद्धान्तों का अध्ययन ही नहीं है बल्कि एक विशेष वैधानिक सिद्धान्त का अध्ययन करना है।

Jurisprudence in generals is not the study of legal systems in general but the study of the general funda mental elements of a particular legal system

प्रश्न ७—विधिशास्त्र का वर्गीकरण आस्टीन के मत से 'सामान्य एवं विशिष्ट (General and Particular)केवल दो भागों में हो सकता है। हालैंड और सामण्ड इस मत से कहाँ तक सहमत हैं इस पर एक टिप्पणी लिखिये।

Q 7 Austin divides Jurisprudence into General and Particular To what extent Salmond and Holland agree with this division ?

उत्तर—आस्टीन विधिशास्त्र का वर्गीकरण दो भागों में करते हैं १-सामान्य विधिशास्त्र २-विशिष्ट विधिशास्त्र।

सामान्य विधिशास्त्र(General Jurisprudence)-सामान्य विधिशास्त्र से तात्पर्य है सुस्पष्ट विधि से, किसी स्थान विशेष के विधान से नहीं। यह विज्ञान वह विज्ञान है जो कि भिन्न भिन्न समाजों से लिया जाता है। यह प्रकृति में सृष्टिगत है और भिन्न भिन्न विधानों का सम्मिश्रण अतः यह सृष्टिगत विधिशास्त्र भी कहलाता है।

विशिष्ट विधिशास्त्र-(Particular Jurisprudence)-विशिष्ट विधिशास्त्र वह विज्ञान है जो कि एक विधान विशेष का अध्ययन करता है चाहे वह वर्तमान काल का हो चाहे भूतकाल का। इसका क्षेत्र केवल एक राष्ट्र विशेष तक ही सीमित है इसलिए इसको राष्ट्रीय विधिशास्त्र भी कहते हैं। सामान्य विधिशास्त्र का क्षेत्र विशिष्ट विधिशास्त्र के क्षेत्र से विस्तृत है।

सामान्य विधिशास्त्र एक सार्वभौमिक विधिशास्त्र है जब कि विशिष्ट विधि शास्त्र एक ही देश में सीमित रहने वाला सकीर्ण विधिशास्त्र ही है सामान्य विधिशास्त्र के लिए ग्रास्टीन ने कहा है कि यह सुस्पष्ट विधि का दर्शन है। यहाँ पर दर्शन से उनका तात्पर्य वैज्ञानिक अध्ययन से है। परन्तु जैसे ही विधिशास्त्र किसी एक वैधानिक व्यवस्था से अपने तथ्यों को एकत्रित करता एवं उनके पीछे स्थित सिद्धान्तों की विवेचना करता है वैसे ही वह विशिष्ट विधिशास्त्र हो जाता है। ग्रास्टीन ने लिखा है कि विशिष्ट विधिशास्त्र किसी वास्तविक वैधानिक व्यवस्था का या इसके किसी अंश का विज्ञान है। केवल मात्र व्यावहारिक विधिशास्त्र ही विशिष्ट विधिशास्त्र होता है।

ग्रास्टीन के इस विभाजन की बहुत से विधिशास्त्रियों ने कड़ी आलोचना की है। इन आलोचकों में प्रमुख डा० हालैंड तथा डा० सामण्ड हैं।

प्रो० सामण्ड ने ग्रास्टीन के इस विभाजन की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह कहना गलत है कि सामान्य विधिशास्त्र का तात्पर्य सभी देशों की वैधानिक व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से पाये जाने वाले सिद्धान्तों का विवेचन करना है किसी एक देश की वैधानिक व्यवस्था के सिद्धान्तों का विवेचन करना नहीं। यह सत्य है कि सामान्य विधिशास्त्र उन सिद्धान्तों का वर्णन करता है जो विभिन्न परिपक्व वैधानिक व्यवस्थाओं में समरूप से प्राप्त होते हैं परन्तु यदि कोई सिद्धान्त संसार की विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं में प्राप्त है, तो इतने से ही वह सिद्धान्त विधिशास्त्र की विषय-सामग्री नहीं हो जाता। इसके विपरीत यदि किसी सिद्धान्त को केवल एक ही देश की वैधानिक व्यवस्था स्वीकार करती है तब भी वह अपनी महत्ता के अनुसार विधिशास्त्र की विषय सामग्री हो सकता है। उदाहरणार्थ इंगलैंड के पूर्ववर्ती निर्णय (Judicial Precedents) जो केवल इंगलैंड ही में मान्य होते हैं, विधिशास्त्र की विषय सामग्री होते हैं। इस प्रकार सामण्ड के विचार से सामान्य विधिशास्त्र सार्वभौमिक वैधानिक सिद्धान्तों का अध्ययन नहीं वरन् किसी वैधानिक व्यवस्था के मूल भूत एवं सामान्य सिद्धान्तों का अध्ययन है।

डा० हालैंड का कहना है कि ग्रास्टीन ने विधिशास्त्र को विशिष्ट इस कारण बताया है क्योंकि इसकी विषय सामग्री विशिष्ट है इस कारण विशिष्ट नहीं कि यह विशिष्ट विज्ञान है। यह अवश्य सम्भव है कि विधि के शास्त्र को केवल एक ही वैधानिक व्यवस्था तक सीमित रखा जाय परन्तु किसी शास्त्र को अधिक महत्ता प्रदान करने के लिए, इसके निर्णयों को गाम्भीर्य प्रदान करने के लिए इस विज्ञान को अधिक सुदृढ़ आधार भूमि प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि वैधानिक अधिक विस्तृत क्षेत्र से अपने तथ्यों को एकत्रित करें और तब अपने निर्णयों

पर पहुँचे। यह विस्तृत क्षेत्र यदि सम्पूर्ण संसार तक फैला हो तो अच्छा ही है।

हालैंड की आलोचना अच्छी नहीं रही। पोक्ता (Puchta) का कहना है कि विधि की रचना में होने वाला विकास मानव विज्ञान के उस विकास से सम्बन्धित रहता है जो वह विभिन्न वस्तुओं को देखकर प्राप्त करता है और इस कारण भाषा की भाँति विधि में भी प्राचीनता के अनुसार भेद बना रहता है।

मेटलैंड का कहना है कि किसी भी देश की जनता तथा राष्ट्र एक ही समय पर एक ही मार्ग से नहीं गुजरते। (Bryce) का कहना है कि किसी भी देश की वैधानिक व्यवस्था उस देश की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होती है साथ ही साथ इन परिस्थितियों का समाधान करने के लिए उस देश की बौद्धिक क्षमता की अभिव्यक्ति भी वैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करती है।

वैधानिक व्यवस्था में अन्तर आ जाने के कारण यह आवश्यक है कि विशिष्ट विधिशास्त्र का अध्ययन किया जाये। परन्तु क्योंकि विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस कारण यह विभाजन करना उचित नहीं है। इसे केवल विधि शास्त्र के ही रूप में रहने दिया जाय।

वैधानिक व्यवस्था में अन्तर आ जाने के कारण यह आवश्यक है कि विशिष्ट विधिशास्त्र का अध्ययन किया जाय। परन्तु क्योंकि विज्ञान की कोई सीमा नहीं है इस कारण यह विभाजन करना उचित नहीं है। इसे केवल विधिशास्त्र के ही रूप में रहने दिया जाये।

प्रश्न ८—आप व्याख्यात्मक (Expository) एवं निर्णयात्मक (Censorial) विधि से क्या समझते हैं?

Q 8 What do you understand by Expository and Censorial Jurisprudence?

बेन्थम ने विधिशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है—व्याख्यात्मक तथा निर्णयात्मक। व्याख्यात्मक विधिशास्त्र से उनका तात्पर्य उस विधिशास्त्र से है जो यह बताये कि विधि क्या है। निर्णयात्मक विधिशास्त्र यह बताता है कि विधि कैसी होनी चाहिये। बेन्थम ने व्याख्यात्मक विधिशास्त्र को प्राधिकृत (Authoritative) तथा अप्राधिकृत (unauthoritative) दो भागों में विभाजित किया है—प्राधिकृत व्याख्यात्मक विधिशास्त्र विधान मण्डल से अपनी सत्ता प्राप्त करता है तथा अप्राधिकृत व्याख्यात्मक विधिशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों से अप्राधिकृत व्याख्यात्मक विधिशास्त्र को आगे दो भागों में बाँटा जा सकता है—

स्थानीय तथा सार्वभौमिक। पहले में किसी एक देश की विधि से ही सम्बन्धित पुस्तकें सम्मिलित हैं तथा दूसरे में सार्वभौमिक विधि शास्त्र से सम्बन्धित पुस्तकें अर्थात् दूसरे में किसी एक देश की विधि की पुस्तकों को ही सम्मिलित नहीं किया जाता है। हालैंड ने अपनी पुस्तक The Elements of Jurisprudence के पृष्ठ ५ में लिखा है कि वर्तमान विधि की व्याख्या करना विधि के विज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। वर्तमान विधि की इस दृष्टि से आलोचना करना कि उसमें सुधार हो सके विधिशास्त्र का कार्य नहीं वरन् विधायन कला (Art of Legislation) का कार्य है। अतएव विधि शास्त्र को इस प्रकार से किसी भी विवेचन के साथ सम्बन्धित नहीं करना चाहिए।

Dr Salmond ने व्याख्यात्मक विधि को कानून का विज्ञान (Science of legislation) कहा है।

प्रश्न ६—क्या आंग्ल (English) एवं वैदेशिक (Foreign) विधि शास्त्र में अन्तर है?

Q 9 Is there any difference between English and Foreign Jurisprudence?

उत्तर—इन दोनों विधिशास्त्रों में भेद को सामण्ड ने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने इंग्लैंड के वैधानिक विचारों एवं साहित्य में योरप के अन्य देशों के वैधानिक विचारों एवं साहित्य की अपेक्षाकृत बहुत भेद दिखाई दिया। प्रमुखतम भेद वैधानिक शब्दावली में मिला। उन्होंने देखा कि विधि (law) शब्द का अंग्रेजी भाषा में अर्थ होता है केवल मात्र विधि परन्तु फ्रांसीसी तथा जर्मनी भाषाओं में विधि अधिकार या न्याय में कोई भेद नहीं किया जाता। इसी प्रकार लैटिन के शब्द Jus का भी विधि की अपेक्षाकृत व्यापक अर्थ होता है। आंग्ल भाषा के 'law' शब्द को बिना किसी तर्क अथवा विवेचन के केवल एक ही अर्थ में स्वीकार किया जा सकता है जब कि उपर्युक्त अन्य शब्दों के साथ यह सन्देह बना रहता है कि इसका तात्पर्य विधि से है अधिकार से है या न्याय से। क्योंकि इन दोनों के लिए उनके यहाँ एक ही शब्द है, तथा अंग्रेजी भाषा इनके वास्तविक सम्बन्धों को छिपाती है क्योंकि शब्दों की भिन्नता के कारण हम उनके घनिष्ट सम्बन्ध को भूल जाते हैं। सामण्ड ने स्वयं भी लिखा है कि जहाँ अन्य भाषा में विधि तथा अधिकार का भेद छिपा रहता है जब कि आंग्ल भाषा में दोनों का सम्बन्ध छिपा रहता है।

इसी कारण नैतिक विधिशास्त्र की रचना आंग्ल विधिशास्त्र के

दो रूप और भी होते हैं—१ विश्लेषणात्मक तथा २ ऐतिहासिक इसके विपरीत महाद्वीपीय विधिशास्त्र का केवल नैतिक विधिशास्त्रीय रूप ही होता है।

Dr Salmond के अनुसार नीतिशास्त्र का यह स्वभाव होता है कि वह प्र यतम न Metaphysics की ओर मुड़ती है। इसी तथ्य के आधार पर यह क जा सकता है कि योरोपीय विधिशास्त्र आध्यात्मिक विधिशास्त्र भी होता है। परन्तु आंग्ल विधिशास्त्र आध्यात्मिक नहीं होता।

प्र स मे दोनो प्रकार के विधिशास्त्रों म यह भी अन्तर किया जा सकता है कि आंग्ल विधिशास्त्र का ता र्य सद्धान्तिक या सामान्य विधिशास्त्र से होता है, अर्थात् आंग्ल विधिशास्त्र वैधानिक सिद्धान्तों की केवल एक मात्र शाखा होती है। जब कि जर्मन साहित्य म विधिशास्त्र का तात्पर्य समस्त वैधानिक ज्ञान से होता है और फ्रांसीसी साहित्य म इसका तात्पर्य न्यायिक पूर्वोक्तियों (Judicial Precedents) स होता है।

प्रश्न १०—विधिशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी है (Schools of jurisprudence)?

या

सामण्ड के अनुसार विधिशास्त्र विशेष रूप से विधान का सिद्धान्त या दर्शन है यह तीन भागो विश्लेषणात्मक ऐतिहासिक एवं नैतिक अध्ययन पद्धतियों मे विभाजित किया जा सकता है व्याख्या कीजिये।

Q 10 What are the various schools of Jurisprudence?

or

Jurisprudence in its specific sense as the theory or philosophy of law is divisible into three branches which may be distinguished as Analytical Historical and Ethical (Salmond) Discuss

उत्तर—डा सामण्ड न सामान्य विधिशास्त्र को सम्पूर्ण वैधानिक सिद्धान्त कहकर बताया है और निर्दिष्ट विधिशास्त्र के बारे म कहा है कि यह शास्त्र केवल एक विशेष विधान के बारे म अध्ययन कराता है। निर्दिष्ट विधिशास्त्र (Specific jurisprudence) को तीन भागों म विभाजित किया जा सकता है (१) विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति (२) ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति एवं (३)नैतिक अध्ययन पद्धति। यह भिन्नता मुख्यतः विधान के इतिहास विधायक का इतिहास एवं विधान के उत्थान के बारे में ही बतलाता है। विधान का स्थान

सैद्धान्तिक विधान की भूमिका है अतः यह भी उपर्युक्त तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति व्यवस्थित रूप से विधान का एक दार्शनिक या सामान्य भाग है ऐतिहासिक पद्धति ऐतिहासिक विधान के सामान्य या दार्शनिक भाग है और नैतिक अध्ययन पद्धति विधि विधान का सामान्य दार्शनिक भाग है।

विधान के ये तीन दृष्टिकोण हैं (१) नैद्धान्तिक (Dogmatic) (२) ऐतिहासिक (Historical) एवं नैतिक या दार्शनिक (Ethical) उपर्युक्त तीनों दृष्टिकोणों को यदि अलग कर दिया जाय तो कोई भी विधान अध्ययन में पूर्ण नहीं होगा।

(अ) विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र—(Analytical jurisprudence) विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र जिसे सामण्ड ने नैतिक विधिशास्त्र भी कहा है विधि के उस रूप का वर्णन करता है जो वास्तव में विद्यमान है। यह विधि की विषय सामग्री एवं विधि के मूल नियमों का विश्लेषण करता है और इस प्रकार विधिशास्त्र के लिए मूल सिद्धान्तों की खोज करता है और उनके सम्बन्धों का अध्ययन करता है। इसका कार्य विधि की उत्पत्ति या विकास के इतिहास का या विधि की नैतिक महत्ता एवं औचित्यता वर्णन किये बिना ही विधि के मूल मूल सिद्धान्तों का विश्लेषण करना है। हम लोग कई तत्वों एवं प्रारम्भिक सिद्धान्तों का अध्ययन निम्नलिखित भागों में करते हैं—(अ) राज्य, प्रभुसत्ता एवं न्याय (ब) विधायन पूर्वोक्तियों एवं रीति रिवाज (स) व्यक्तित्व स्वामित्व एवं आधिपत्य (द) अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व (य) एवं साक्ष्य।

सामण्ड कहा है कि विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र सामान्य या दार्शनिक सुव्यवस्थित विधान है। विधान का तात्पर्य सामण्ड के विचार से यह है जिसमें वर्तमान या भूतकाल दोनों के विधानों का अध्ययन हो।

विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति के गुण एवं अवगुण—बेन्थम ने इसे विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति की नींव इंग्लैंड में डाली। विश्लेषणात्मक Austin के अनुसार विधि की प्रभुसत्ता या सत्ता ऐतिहासिक तत्वों पर नहीं आधारित है वरन् प्रभुसत्ता के शासन पर आधारित है। इस अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिक प्रगति का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस कारण विधि के न्याय एवं तर्क को प्रधानता नहीं दी जा सकती है। इसी कारण इस पद्धति का विनाश हुआ तथा ऐतिहासिक पद्धति का उत्थान।

इन्होंने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया कि राष्ट्रीय विधि ही समस्त विधियों का आधार होती है। इन्होंने कहा कि विधि व्यक्तिगत

से बनी है। इनका यह भी कहना है कि एक उच्चतर सिद्धान्त होता है और प्रत्येक विधि के औचित्य को उस उच्चतर सिद्धान्त के अनुसार माना जाना चाहिये। यह उच्चतर सिद्धान्त व्यक्ति उपयोगितावाद ही है। जान आस्टिन के विचार से किसी राजनीतिक रूप से संगठित स्वतन्त्र समाज में उस समाज के प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रधान द्वारा अन्य अधीनस्थ व्यक्तियों के कार्यों को संचालित करने के लिये उन अधीनस्थ व्यक्तियों पर लागू किये जाने वाले आदेश विधि होते हैं।

(ब) ऐतिहासिक विधिशास्त्र (Historical Jurisprudence) ऐतिहासिक विधिशास्त्र अध्ययन पद्धति जिसे कभी कभी सामान्य विधिशास्त्र भी कहा जाता है के अन्तर्गत विधि को समय की देन माना जाता है की विधि की उत्पत्ति तथा प्रगति का अध्ययन उन सिद्धान्तों को संकेत करके किया जा सकता है जो समय के साथ साथ विधि की प्रगति में सहायक रहे हैं। समाज के वर्गों में ऐतिहासिक विधिशास्त्र वैधानिक इतिहास व सामान्य एवं दार्शनिक सत्यों का एक भाग रहा है। वैधानिक इतिहास का उद्देश्य ऐतिहासिक नियम तथा पद्धति का अध्ययन करना है।

जी० सी० जी के अनुसार ऐतिहासिक विधिशास्त्र विधि के उन रूपों का तथा उन अंगों का अध्ययन करता है जो विधि की प्रगति की विभिन्न श्रेणियों से गुजरे हैं। यह विधि के प्रारम्भिक विचारों तथा नवीन विचारों को एक सूत्र में बांधकर सम्बन्धित करता है। यह सामाजिक रीति रिवाजों तथा उनकी वृद्धि का भी अवलोकन करता है। यह उन वैधानिक धारणाओं या विचारों की खोज करता है जो विश्व के वैधानिक नियमों में अन्तर्निष्ठ हैं। इस प्रकार Jus naturace, jus gentium तथा रीति रिवाज सम्बन्धी विधि का प्रभाव व अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा नागरिक विधि पर क्या पड़ता है इसका समुचित अध्ययन ऐतिहासिक विधिशास्त्र करता है।

ऐतिहासिक विधिशास्त्र विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र से इस अर्थ में भिन्न है कि विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र के अनुसार विधि तर्क या कारण द्वारा उत्पन्न होता है तथा ऐतिहासिक विधिशास्त्र के अनुसार विधि समय की आवश्यकताओं तथा ऐतिहासिक आन्दोलनों और भावों का परिणाम है। दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक विधिशास्त्र के अनुसार कानून पाया गया है (law is found) तथा विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र के अनुसार कानून बनाया गया है। एक के अनुसार यह रीति रिवाजों में पाया गया है तथा दूसरे के अनुसार है अधिनियम के रूप में बनाया गया।

Savigny १८ वीं शताब्दी का महान विधिशास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक माना जाता है। इनके अनुसार रीति रिवाज निर्मित कानून के विरुद्ध

हैं। विधि की वृद्धि कानूनी महार्थियों द्वारा हुई है इस आलोचना के समाधान के लिये सविग्नी (Savigny) का कथन है कि ये महारथी जनता में से ही थे। ये भी समाज के अंग थे।

अमरिका म जेम्स कालिज कार्टर (James Coodlidge Carter) को ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का वृद्धि के लिये श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कानूनी नियमों के ऊपर रीति रिवाज के नियमों की महानता के प्रबल विश्वास था। अपनी पुस्तक Law its origin growth and Fanction में उन्होंने यहां तक कहा है कि कानून आदमी के कार्यों से बनाया जाता है परन्तु उन कार्यों द्वारा बदला या खंडित भी किया जा सकता है। Law not only can not be made by human action but can not be alrogated or changed by such action

ऐतिहासिक विधिशास्त्र पद्धति के गुण एव दोष—इस पद्धति म रीति रिवाजों का प्रमुख स्थान दिया जाता है इसम खास कमी यह है कि इसके अन्तर्गत भूत काल को वर्तमान काल तथा भविष्य काल से अधिक महत्व दिया जाता है। विधि के लिए ऐतिहासिक प्रतिरूप विधिशास्त्र के लिये विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है परन्तु केवल यही एक प्रतिरूप नहीं है।

(स) नैतिक विधिशास्त्र (Ethical Jurisprudence)—नैतिक विधि शास्त्र जिसे कभी कभी दार्शनिक विधिशास्त्र भी कहा जाता है विधि के नैतिक आधार का अध्ययन करता है। यह कानून का निरीक्षण उसकी अच्छाई तथा नैतिकता के दृष्टिकोण से करता है। इस धारणा के अनुसार कानून कोई नैतिक जीवन स्थापित तथा लागू करता है।

डाक्टर सामंड के मतानुसार नैतिक विधिशास्त्र विधि विज्ञान का सामान्य तथा दार्शनिक भाग है जहां पर कानून का विज्ञान कानून का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करता है कि कानून कैसा होना चाहिये न कि कैसा है या कैसा था। (not as it is or has been but as it ought to be) उसका यह भी कहना है कि नैतिक विधिशास्त्र वैधानिक नियमों के मानसिक तत्वों से या उसकी ऐतिहासिक वृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है बल्कि उनके मौजूदा उद्देश्य से जिनके लिए यह बना है और तरीके या ढंग की विधि जिनके द्वारा उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है जैसा कि वैधानिक नियमों का उद्देश्य है न्याय को कायम रखना है नैतिक विधिशास्त्र न्याय के सिद्धान्तों का तथा उनके कानूनी सम्बन्धों से ही सम्बन्धित है।

ह्यूगो ग्रोटियस(Hugo Grotius)को इस तरह विधिशास्त्र का पिता माना जा सकता है। उसके लिये प्राकृतिक विधि उचित तर्क की धारणा है जो इस बात का

संकेत करता है कि यदि कोई अधिनियम प्रकृति विवेक के अनुकूल है तो इसमें नैतिक आधार या नैतिक आवश्यकता का गुण है।

हेगल (Hegel) दार्शनिक विधिशास्त्र के दूसरे ज्ञाता का कहना है कि वैधानिक नियमों का उद्देश्य समाज के संघर्ष करने वाले विचारों का समन्वय करना है। गिंग के अनुसार Law is the means by which the individual will is harmonised with the general will or the community (कानून वह स्रोत है जिसके द्वारा व्यक्तिगत इच्छाओं या सिद्धांतों को सामूहिक विचारों या सिद्धांतों से संतुलित किया जाता है)। यदि नैतिकता व्यक्तिगत इच्छाओं को सामूहिक इच्छाओं से मिश्रित करती है तो कानून इसके विपरीत दिशा में जाकर ऐसा करता है। इस प्रकार नैतिकता तथा कानून एक दूसरे से अन्त में सहमत होने की क्षमता रखते हैं संक्षेप के शब्दों में नैतिक विधिशास्त्र नैयायिक दर्शनशास्त्र तथा नैतिकता का मिलन बिन्दु है और इनका आधार एक ही है।

नैतिक विधिशास्त्र धारणा के गुण और दोष (Merits and demerits of Ehtical Jurisprudence—यह शास्त्र कानून के आधार तथा उद्देश्य का विश्लेषण करता है परन्तु ये भावात्मक सिद्धांत हैं जो यथार्थवाद से अलग है। यह विधि के भूत और वर्तमान की कीमत पर विधि के भविष्य पर जोर देता है। Lord Bryce का दृष्टिकोण उचित है कि जब तक दार्शनिक विधिशास्त्र विधि को समझने में सहायता नहीं करता है यह कम उपयोगी होगा।

निष्कर्ष (Conclusion)—यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति नैतिक पद्धति तथा सामाजिक पद्धति आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित है। वास्तव में ये पद्धतियाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विधिशास्त्र विज्ञान की एक ही शाखा है। एक पद्धति को दूसरी पद्धति से अलग करके पूरा अध्ययन करना यदि असम्भव नहीं है तो कठिन तथा निरर्थक अवश्य है।

प्रश्न ११(अ)—सामाजिक विधिशास्त्र (ब) नैतिक विधिशास्त्र अध्ययन पद्धति (स) तुलनात्मक विधिशास्त्र की व्याख्या कीजिए

Q 11 Explain —(a) Sociological School of Jurisprud nce (b) Ethical school of jurisprudence (c) Compar ative School of Jurisprudence

(अ) सामाजिक विधिशास्त्र (Sociological Jurisprudence) इस पद्धति के अनुसार विधान एक सामाजिक विज्ञान है। विधि वास्तव में एकाकी व्यक्ति से सविधान नहीं होती वरन् समाज में रहने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित होती है कि उनका अधिकार एवं कर्तव्य क्या है। यह विधान विभिन्न सामाजिक वर्गों के

सामाजिक उद्देश्यों के हेतु निर्मित हुआ है। यह विधि के सामाजिक पहलू से सम्बन्धित है। भिन्न भिन्न सामाजिक सगठनों का अध्ययन उसमें अन्तर्निहित सामाजिक भूतकाल या वर्तमान काल की विधियों का उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होता है।

विधिशास्त्र के समाजशास्त्रीय पक्ष पर दृष्टिपात करते हुए सामण्ड ने लिखा है कि यद्यपि विधिशास्त्र तथा समाजशास्त्र में बहुत अन्तर है फिर भी दोनों में बहुत कुछ तादात्म्य भी है। उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि अमुक विधि का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और अमुक विधि पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्र यह भी अध्ययन करता है कि अमुक विधि समाज में किस सीमा तक मानी जाती और कहाँ तक यह अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल है।

इन के विभिन्न सिद्धान्त अपराध की जड़ अपराधियों का व्यवहार और अपराधियों पर भिन्न भिन्न दंड का असर यह सब बातें हम इस पद्धति के अन्दर अध्ययन करते हैं।

C V Allen महोदय कहते हैं कि सम्पूर्ण सामाजिक पद्धति एक तरह से विधान की धार्मिक कल्पना के विरुद्ध एक चुनौती सी है क्योंकि विधान में राज्य के एकाधिकार से निकल गया है।

Eugen Ehrlich महोदय कहते हैं कि वर्तमान युग में या और किसी युग में विधान का विकास विधायन, विधि विज्ञान या न्यायिक निर्णय में निहित नहीं रहा है वरन् समाज में रहा है। अतः विधान का निर्माण समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होता है।

अतः इस कहा जा सकता है सामाजिक आवश्यकताओं ने ही विधान को जन्म दिया अतः विधान निर्माण के समय सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है।

माण्टेस्क्यू को इस पद्धति के प्रवर्तकों में ठीक ही कहा गया है। इन्होंने ही सबसे पहली बार यह बताया कि सामाजिक अवस्थाओं का विधि एवं वैधानिक संस्थाओं के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्होंने अपनी पुस्तक The Spirit of Laws में यह लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की विधि को उस राष्ट्र के लक्षण के अनुसार निर्धारित करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की विधि उस राष्ट्र की जलवायु, मिट्टी, स्थिति, विस्तार, लोगों के व्यवसाय धार्मिक सहिष्णुता तथा रीति रिवाजों पर आधारित होती है।

लियोन डुग्वी—Leon Duguit—इनके विचार से व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इनके लिए आवश्यक है कि वह समाज में रहे क्योंकि समाज से बाहर

रहकर यह एकाकी जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। विधि का कर्तव्य है कि वह समाज में न्याय की स्थापना करे। दुग्वी ने यहाँ तक कहा है कि यदि सरकार समाज में न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से विमुख होकर किसी विधि का निर्माण करती है तो उस राज्य की जनता को यह अधिकार होगा कि वह उसका विरोध करे। जनता की सेवा करना ही राज्य का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये।

रस्कोपाउण्ड (Roscoe Pound) भी विधान का सामाजिक पद्धति मानते हैं। अपनी पुस्तक Interpretation of Legal History में वे कहते हैं कि विधान न्याय एवं अनुभव का प्रादुर्भाव है जिसके सहायता से सामाजिक कार्यक्रम चलता है। वे उपर्युक्त पद्धति के निम्नलिखित लक्षण बताते हैं—अधिकांश रूप में विधि के वास्तविक का वर्णन होता है जिनको विधि प्राप्त कर चुकी है। यह एक प्रकार का धागा है जो विधि के आधुनिक एवं भूतकालिक रूपों को मिलाता है और यह विधि के वर्तमान एवं भूतकालीन रूपों के बीच आये हुए अवरोधों को हटाकर एक लकीर खींच देता है। यह विधिशास्त्र समुदाय में प्रचलित प्रथाओं को लेकर उनके विकास की खोज करता है। यह उन मूलभूत वैधानिक धारणाओं का उत्पत्ति की भी खोज करता है जो कि संसार की विधि व्यवस्था का अंग बन चुकी है। यह उन धारणाओं को जन्म देने वाली परिस्थितियों की भी विवेचना करता है उनके विकास का भी निरीक्षण करता है और विभिन्न अवस्थाओं में उनका प्रभावित करने वाली शक्तियों का भी वर्णन करता है।

विधिशास्त्र के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति विश्लेषणात्मक पद्धति से पूर्णतया भिन्न है। यह पद्धति विधि के साथ उसी समय से अपना संबंध स्थापित कर लेती है जब से विधि का जन्म होता है और विधि के विकास के साथ ही साथ यह आगे बढ़ता रहता है। इसका दृष्टिकोण अनुदर्शी (Retrospective) होता है। यह विधि को आदि काल से लेकर आज तक समाज की विभिन्न प्रभावों एवं शक्तियों का परिणाम मानती है।

सैविनी (Savigny) ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। उनके मतानुसार किसी देश की भाषा एवं व्यवहार के विकास के साथ उस देश की विधि भी विकसित होता है सैविनी के अनुसार व्यवहार सुस्पष्ट विधि का चिह्न है। यह कहना कि विधान का विकास वैधानिक अनुभवी द्वारा हुआ है बनी महत्त्व रखते हैं कि ये अनुभवी गण स्वयं जनता में से एक होता है।

अमेरिका में ऐतिहासिक पद्धति के विकास का श्रेय जेम्स कूलिज कार्टर (James Coolige Carter) को है। ये विधायन के विरोधी थे और रूढ़िजन्य विधि को न्यायालय में विश्वास करते थे। इनके विचार से विधि समाज की सम्वालान। यह वास्तव में ऐतिहासिक विधिशास्त्रियों के इस विचार के पूर्ण

समर्थक थे कि विधि मानव कार्यों से केवल मात्र निर्मित होती है, वरन् मानव कार्यों से यह खंडित या परिवर्तित भी नहीं की जा सकती। इसलिए इनका विचार था कि विधि राज्य के पूर्व उत्पन्न हुई।

गुण एवं अवगुण (Merit and Demerits)—ऐतिहासिक पद्धति में प्रचलित विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे बड़ा दुर्गुण इस पद्धति में यह था कि यह विधि भूतकालिक तथ्यों पर अधिक जोर देता था वर्तमान या भविष्य पर कम। ऐतिहासिक विधि एक महत्वपूर्ण स्थान विधान में प्राप्त कर सकता है।

(ब) नैतिक विधिशास्त्र (Ethical jurisprudence)—यह विधिशास्त्र विधि के आदर्श रूप को निर्धारित करता है। यह वास्तव में न्याय की स्थापना एवं न्याय के नैतिक एवं चारित्रिक रूप का विवेचन करता है। यह साथ ही साथ विधि के नैतिक आधार का विश्लेषण करता है और बताता है कि विधि को किन उद्देश्यों को पूरा करना है। सामण्ड महोदय कहते हैं कि नैतिक विधिशास्त्र विधायन विज्ञान का एक अंग है। विज्ञान जहाँ विधायन विज्ञान का अध्ययन करता है वहाँ उसका तात्पर्य होता है कि विधान कैसा होना चाहिए यह नहीं कि विधान कैसा है।

यह न तो नैयायिक व्यवस्था के बौद्धिक तथ्यों से सम्बन्धित होता है और न इसके वैधानिक विकास से ही वरन् इसका सम्बन्ध केवल मात्र अपने उद्देश्य एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाये जाने वाले साधनों से ही होता है। विधि का उद्देश्य राज्य की भौतिक शक्ति के द्वारा किसी निश्चित राजनीतिक समुदाय में न्याय की स्थापना करना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नैतिक विधिशास्त्र का सम्बन्ध न्याय के सिद्धान्त से सम्बन्धित विधि से है।

ग्रोशियस दार्शनिक विधिशास्त्र के पिता थे। इनके विचार में प्राकृतिक विधि उचित बुद्धि का आदेश (The dictate of right reason) होती है। अतएव किसी भी कार्य का औचित्य या अनौचित्य तर्क के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। अतएव प्राकृतिक विधि की अन्तर्निहित नैतिक क्षमता ही इसे सार्वभौमिक उपचार प्रदान करती है।

हीगल (Hegal) ने हाल इच्छा की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त का और भी विस्तृत रूप में वर्णन किया है। हीगल के विचार में विधि व्यक्तिगत इच्छा तथा समुदाय की सामान्य इच्छा में सामंजस्य स्थापित करता है। यह कार्य विधि दो प्रकार से करती है। एक ओर यह सामान्य इच्छा को इस प्रकार ढालती है कि सामान्य इच्छा व्यक्तिगत इच्छा के साथ एक रूप हो जाय और इस प्रकार यह इन दोनों प्रकार की इच्छाओं में तादात्म्य स्थापित कर देता है। दूसरी ओर व्यक्ति इच्छा

नीतिशास्त्र के अनुसार निर्मित होती है। अत नैतिकता एवं विधान साथ साथ रहते हैं सामण्ड के शब्दों म नैतिक विधिशास्त्र एवम् दार्शनिक विधान दोनों एक ही पेड की दो शाखायें हैं।

Merits and Demerits–गुण और अवगुण इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत विधान का उद्देश्य क्या हो है इसलिए यह कोई भी (१) वे (Sociological school of Jurisprudence) कार्यों का अध्ययन करने के लिये कहते हैं विधि के सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करने के लिये नहीं। (२) इनके विचार से विधि एक सामाजिक संस्था है जिसमें सुधार करके समाज का अधिकाधिक लाभ पहुँचाया जा सकता है। (३) इनके विचार से इन्ही सिद्धान्त की मदद से व्यवहार एवं निर्णय के सिद्धांत लागू किये जाते हैं। (४) इनके विचार से सामाजिक शास्त्र राजनीतिक रूप से संगठित समाज के कार्यों द्वारा सामाजिक सम्बन्धों को उचित रूप से संचालित करने का प्रयत्न किया करता है।

(स) तुलनात्मक विधि शास्त्र की पद्धति (Comparative School of Jurisprudnce) —इस अध्ययन पद्धति का उद्देश्य विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं के सामान्य सिद्धांतों को एकत्रित करना उनका निरीक्षण करना और उनकी पारस्परिक तुलना करना होता है। हालैंड इस विधि के विषय में लिखते हैं कि तुलनात्मक विधि विभिन्न देशों की वैधानिक व्यवस्थाओं को संगठित एवं वर्गीकृत करती है और इस प्रकार तयार किये हुये निष्कर्ष से विधि शास्त्र का सूक्ष्म विभाग उन विचारों एवं दृष्टिकोणों को निर्धारित करने के योग्य हो जाता है जो वास्तविक वैधानिक व्यवस्थाओं में प्रयोग किये जाते हैं।

यह पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की अपेक्षाकृत अधिक विकसित तथा अधिक आलोचनात्मक होती है। परन्तु ऐसा अध्ययन (Pollock) के मतानुसार तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकते है जब कि सभ्यता का विकास हुआ हो तथा जिन पारिभाषिक शब्दों से तुलना की जाय उनका विशेष विकास है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि रोम का विधान तुलनात्मक विधि शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि विधि की अनेक विकसित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक विधि में इसका काफी योग रहा है। विस्काउण्ट ब्राइसी मे ने यह कहते हैं व्यवहारिक दृष्टि से रोम के विधान का एक प्रादुर्भाव मात्र है आंग्ल विधान भी रोम के विधान से काफी हद तक प्रभावित हुआ है।

ड ि ग म हो न्य भी म पद्धति के एक प्रतिनिधि थे। इनका कहना है कि विधि का ज म मनुष्य के ज म की भांति दन्त सी पीडाओं के प वात हुआ है। इस तरह म हरिंग सविनी तथा पु ताक मन स म हमत नहीं है कि विधि शास्त्र की उत्पत्ति म कोई भी पीडा नहीं हुई थी।

इन्होंने तुलनात्मक पद्धति द्वारा यह प्रमाणित किया है कि प्रत्येक विधि को अपने निर्माण काल में बहुत से सदर्भों से होकर गुजरना पड़ता है उदाहरणार्थ ग्राम श्रमिकों का आयात निर्यात (Serfdom) की प्रथा का अन्त मौलिक सम्पत्ति की स्वतन्त्रता उद्योग की स्वतन्त्रता और आर्थिक स्वतन्त्रता आदि शताब्दियों के संघर्षों के बाद प्राप्त हुई है।

Sir Henery Maine (सर हेनरी मेन) इन्होंने इंगलैंड में ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि शास्त्र की नींव डाली। इन्होंने कई पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उसके पश्चात उसको तीन भागों में विभाजित किया (१) विधि शास्त्र की उत्पत्ति (२) समाज की उत्पत्ति तथा विकास सामाजिक परम्परा का सिद्धान्त (३) व्यक्तिगत विधि जिसके अन्तर्गत वसीयतनामा तथा उत्तराधिकार व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा संविदा एवं दण्डविधियों का विकास आता है। सर हेनरी मेन के इस सिद्धान्त की बड़ी आलोचना हुई और कहीं तो इनके सिद्धान्त में कुछ त्रुटि भी रह गई पर सिद्धान्त को लोग मानते रहे। सर फ्रेडरिक पोलक के शब्दों में हम लोग उस भी पुताई कर सकते हैं जिसको कि उसके स्वामी ने अधूरा छोड़ दिया जिसको कि एक आदमी परन्तु बैल को हल में नाध कर खेत जोत रहता है तो दूसरा व्यक्ति बन जाता लेकिन फल तो फिर भी स्वामी का ही होता है।

अध्याय २

राज्य तथा प्रभुसत्ता

State and Sovereignty

प्रश्न १२—राज्य से आपका क्या तात्पर्य है ? इसके मुख्य लक्षण बताइये

Q. 12 What is meant by State? Give its salient features

उत्तर—राज्य की परिभाषा भिन्न भिन्न लेखकों ने भिन्न भिन्न किया है। राज्य एक मुख्य कृत्रिम व्यक्ति है जिसको कुछ अधिकार और कर्त्तव्य होते हैं।

प्रोफसर हालड ने राज्य की परिभाषा देते हुये लिखा है कि राज्य एसे बहुत से व्यक्तियो का सगठन है जो एक निश्चित प्रदेश म रहते हैं और जिन पर उस समुदाय के बहुमत की इच्छा या निश्चित वग की इच्छा उस बहुमत की शक्ति से या उस वग की शक्ति स लागू होती है और उन सभी सस्था पर हावी रहती है जो इसका विरोध करते हैं।

जान सामण्ड के अनुसार राज्य उस जनसमुदाय क समूह को कहते हैं जो बाहरी शत्रुओ स बचाव और कुछ साधनो द्वारा कुछ उद्देश्य की प्राप्ति क लिए स्थापित किया जाता है। य उद्देश्य हैं समाज म शान्ति की स्थापना आ सामण्ड ने कहा कि राज्य जन समाज का वह समूह है जो शान्ति एव न्याय की स्थापना करता है।

पाकर महोदय ने सामण्ड की परिभाषा की आलोचना करते हुय कहा कि राज्य म कई और भी सस्थाय शान्ति और सुरक्षा का बीडा उठाती है। यह आलोचना तक सगत नहीं मालूम पडती है। क्योकि सामण्ड स्वय कहते हैं कि राज्य शक्ति द्वारा शान्ति स्थापित कर सकता है कोई और सस्था ऐसा नहीं कर सकती। पाकर पुन आलोचना करते हुये कहते हैं कि सामण्ड ने नैतिकता का ध्यान बिल्कुल ही छोड दिया है। इसके उत्तर म यह कहा जा सकता है कि राज्य की परिभाषा म नैतिकता का कोई प्रश्न ही नही उठता यदि उठता भी है तो न्याय उसको आत्मसात करता है और राज्य की सुख सुविधा की बाते आ जाती हैं।

Leon Duguit विधान ड्युगी हालण्ड एव सामण्ड क मत स सहमत नही हैं और कहते हैं कि राज्य एक जन समूह है जो कि एक देश विशेष पर निभर करता है जिसम मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर शासन करता है उसी को प्रभुसत्ता कहते हैं। उनका कहना है राज्य एक कहानी है। उनका यह भी कहना है विधान र य की देन नही है। इसकी उत्पत्ति स्वतन्त्र रूप से है तथा यह स्वय राज्य को भी सीमाबद्ध करता है।

वुडरो विलसन (Woodrow Wilson) का मत है राज्य किसी एक भाग क जन सगठन को कहते हैं। (Austin) का कहना है विधान एक आदेश सूचक शब्द है। आस्टिन ने लिखा है राज्य प्रभुसत्ता का पर्याय है। यह एक ऐसे व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों क समूह को सूचित करता है जो कि राजनीतिक रूप स स्वतन्त्र समाज म सव श्रेष्ठ शक्ति रखते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है म आस्टिन ने राज्य की अवगुना सम्पन प्रधान की परिभाषा दी है परन्तु अर वग ह— न्होंने राज्य की ओर ही इगित किया है। उन्हाने वास्तव म राज्य के स पर अधिक दिया है।

}